## कार्यालय संचालक

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) कलियासोत डेम के पास, कोलार रोड़ भोपाल – 462016

दूरभाष 0755-4082502, 4082525 e-mail: mpwalmi@gmail.com

दिनांक 07/06/2021

वाल्मी / डब्ब्यू-03 / टी.एस. / 17-ए / 2020-21 / **२ १**०

## कार्यालयीन आदेश

म.प्र.शासन, वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/20008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.01.2008 मे निहित प्रावधानों अनुसार संस्थान के निम्नलिखित निरियों / कर्मचारियों को 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 28 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर निम्न तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 1/समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

		and the	
देयता तिथि	28 वर्ष पूर्ण होने पर तृतीय समयमान दि. 06.10.15 से देय	ı	1
30 वर्ष पूर्ण होने पर तृतीय उच्चतर वेतन बैण्ड + ग्रेड पे	15600-39100 + GP 6600	ı	1
देयता तिथि	I	27.12.2015 से देय	27.12.2015 से देय
20 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय उच्चतर वेतन बैण्ड + ग्रेड पे	1	5200-20200 + GP 2800	5200-20200 + GP 2800
देयता तिथि	1.	01.04.06 से देय	01.04.06 से देय
10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम उच्चतर वेतन बैण्ड + ग्रेड पे	1	5200-20200 + GP 2400	5200-20200 + GP 2400
नियुक्ति दिनांक	06.10.1987	27.12.1995	27.12.1995
पदनाम	सहायक यंत्री	समयपाल	स्मयपाल
अधिकारी / कर्मचारी का नाम	श्री जे.के. गुप्ता	श्री एन. के. पारे	श्री सत्यपाल सिंह

मयमान वेतन स्वीकृति पश्चात् वेतन वृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण रेसा मानते हुए किया जायेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतन में ही चला आ रहा है तथा उसे समयमान वेतनमान के वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला है। मयमान वेतन मे फलस्वरूप कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

क्त कर्मचारियों को विरुद्ध यदि कोई वसूली की स्थिति हो तो पहले वसूली की जायेगी।

ज्य कमवारि

रोक्त तालिका में दर्शाये गये वेतनमानों में वेतन निर्धारण स्थानीय निधि संपरीक्षा की जांच के अध्यधीन रहेगा एवं जांच में कोई त्रुटि पाये जाने पर तद्नुसार सुधार एवं की कार्यवाही संबंधित सेवक से की जावेगी।

.शासन वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.01.2008 में निहित प्रावधान यथा स्थिति में लागू होंगे।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

हिए हर प्रशासकीय अधिकारी वाल्मी भोपाल

दिनांक 87/06/20120

/ वाल्मी / डब्ल्यू—03 / टी.एस. / 17—ए / 2020—21 / **.3 9°** 

श्री / श्रीमती ......

....(संबंधित) की ओर सूचनार्थ।

लेखा शाखा, वाल्मी भोपाल।

स्थापना शाखा(व्यक्तिगत नस्ती) वाल्मी भोपाल।

वेबसाइट समिति, वाल्मी भोपाल।

गार्ड नस्ती।

निज सहायक(संचालक कक्ष) वाल्मी भोपाल।

प्रशासकीय अधिकारी